(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2406–एक/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–5–2014 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक मल्हारगढ जिला मंदसौर, प्रकरण कमांक 2/रा.नि./2014.

.....

श्री राममंदिरगढ के सामने
व्यवस्थापक कलेक्टर जिला मंदसौर
द्वारा पुजारी राजेश पिता पुरूषोत्तम पाराशर
निवासी कनघट्टी तहसील मल्हारगढ जिला मंदसौर

विरूद्ध ..... आवेदक

1–शोभाराम पुत्र सुखलाल पाटीदार
निवासी ग्राम कनघट्टी तहसील मल्हारगढ़
जिला मंदसौर म0प्र0
2–मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक– आवेदक
श्री एस0पी0धाकड़, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, पेनल अभिभाषक–अनावेदक कमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 5/7/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, मल्हारगढ जिला मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–5–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 1342/1 रकबा 0.06 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 1342/2 रकबा 0.02 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन किया जाकर दिनांक 29–4–14 को सीमांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन प्रतिवेदन के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक को सूचना दिये बिना उसके पीठ पीछे सीमांकन किया गया है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन में पड़ोसी कृषकों को सूचना नहीं दी गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन नहीं किया गया है । उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 29–4–14 निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् आवेदक सहित पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर सीमांकन कार्यवाही की गई है जो कि पूर्णतः विधिसंगत एवं उचित कार्यवाही है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि आवेदक को अनावेदक की भूमि के सीमांकन किये जाने में आपत्ति है तो वह अपनी भूमि का सीमांकन कर सकता है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा की जा रही कार्यवाही विधिसंगत एवं उचित होने से स्थिर रखी जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन में आवेदक को विधिवत् सूचना जारी की गई है और उक्त सूचना पत्र राममंदिरगढ के पुजारी पर तामील हुआ है । इसके अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक

द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन पड़ोसी कृषकों की उपस्थिति में स्थायी सीमाचिन्हों से किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, मल्हारगढ जिला मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–5–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर